

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डीन (करीली)

पीतासीन अधिकारी - हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या-129/2022

दावर दिनांक- 01.06.2023

जीसीएमएस नं. 2022/258

उपनाम

स्वरूप बनाम नारायण जाति जोगी निवासी हिंगोट तहसील हिण्डीन सिटी जिला करौली राजस्थान

—वादीगण-02

बनाम

जोगेन्द्र पुत्र हजारी जाति जोगी निवासी हिंगोट तहसील हिण्डीन जिला करौली।

—प्रतिवादीगण-04

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक- 26/7/24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एवं वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एवं वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण एवं वादीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एवं वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 129/2022 स्वरूप बनाम जोगेन्द्र अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
(हेमराज गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डीन, जिला करौली

